राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

<u>आदेश</u>

एकलपीठ दाण्डिक निगरानी याचिका संख्या 150/2009

रमाकान्त मीणा उर्फ आर.के.मीणा **बनाम** राजस्थान राज्य।

आदेश दिनांक : 30 जनवरी,2009

उपस्थित

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा</u>

श्री जितेन्द्रसिंह तंवर अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी उप0

श्री हरि बारठ लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य उप0

1- यह निगरानी याचिका, अपर सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्रम-1, जयपुर जिला,जयपुर के आदेश दिनांक 19/1/2009 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है जिसमें कि प्रार्थी के ऊपर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364 ए एवं 323 के तहत आरोप विरचित किये गये हैं।

2- मैनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों को सुना एवं आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अनुशीलन किया।

3- इस प्रकरण के तथ्यों में जाने से पूर्व प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिह तंवर ने न्यायालय के समक्ष यह सरल, सूक्ष्म एवं न्यायानुकूल प्रार्थना की है कि प्रार्थी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावे और विचारण न्यायालय उसका तुरन्त निस्तारण करें तथा प्रार्थी यह निगरानी याचिका उपरोक्त आधार पर वापिस लेना चाहता है।

4-संक्षेप में प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक परिवाद न्यायिक दण्डनायक के समक्ष अपार्थीगण के विरुद्व प्रस्तुत किया, जिसे न्यायिक दण्डनायक, वैर ने अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत संबंधित पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी को अनुसंधान हेतु भेज दिया। संबंधित पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अनुसंधान प्रारम्भ किया। तत्पश्चात अप्रार्थीगण के विरुद्व संबंधित न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

3- तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तगण को उपरोक्त धाराओं